

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): इंदौर अर्बन

P.S. (थाना): कनाडिया

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0101

Year (वर्ष): 2025

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 01/03/2025 21:06 बजे

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	420
2	भा दं सं 1860	406
3	भा दं सं 1860	467
4	भा दं सं 1860	468
5	भा दं सं 1860	471
6	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन):

Date From (दिनांक से):

Date To (दिनांक तक):

दरमियानी दिन

01/02/2021

30/06/2024

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से):

Time To (समय तक):

10:00 बजे

00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 01/03/2025

Time (समय): 21:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 064

Date & Time (दिनांक और समय): 01/03/2025 21:06

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 07 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): कावेरी कुंज ग्राम बेगम खेड़ी, इंदौर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम):

District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): महावीर जैन

(b) Father's Name (पिता का नाम):

सुरेश कुमार जैन

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1974

(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	43,राज महौल्ला, इन्दौर,छत्रीपुरा,इंदौर अर्बन,मध्य प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	43,राज महौल्ला, इन्दौर,छत्रीपुरा,इंदौर अर्बन,मध्य प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9893054509

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	राकेश दुबे/Rakesh		पिता का नाम : सुरज प्रसाद दुबे	1. अग्रसेन नगर, एरोडम, इंदौर, एरोडम, इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश,

	Dubey		भारत
--	-------	--	------

2	अज्ञात1 /		
---	-----------	--	--

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

आवेदन जांच पर से

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

मैं थाना कनाडिया पर कार्य. सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। आज दिनांक 01.03.2025 को श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय जोन-02 इंदौर महानगर के कार्यालय से आवेदक महावीर जैन पिता सुरेश कुमार जैन उम्र 51 साल नि. 43 राज महौल्ला इन्दौर मो.न. 9893054509 व्दारा की गई शिकायत आवेदन जांच नस्ती श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय खजराना इंदौर के पत्र क्रमांक सहा.पु.आ./खजराना/पीपी/पु.आ./95-ए/24-25 दिनांक 01.03.2025 मय टीप के माध्यम से थाना कनाडिया पर आवक जावक रजिस्टर में आमद क्रमांक PSKD/229/25 दिनांक 01.03.2025 प्राप्त हुई। जिसका अवलोकन करते पाया गया कि मेरू इन्फ्रा प्रोजेक्ट डेवलपर्स (एल.एल.पी.) कम्पनी में अनावेदक राकेश दुबे के द्वारा कम्पनी से इस्तीफा देने के बाद रिटायरमेंट डीड पर हस्ताक्षर करने के बाद भी बगैर अधिकार के भू खण्डों को विक्रय कर कम्पनी का पार्टनर न होकर भी कम्पनी के पार्टनर लिखी सील लगाकर 13 भू खण्डों का विक्रय पंजीयन पर हस्ताक्षर कर कुट रचित दस्तावेजों का निर्माण करवाया व भू खण्डों की विक्रय राशी मेरू कम्पनी के खाते में जमा ना करते हुये विजय कोठारी की कम्पनी आरूषी होम के खाते में प्राप्त कर उक्त राशि को राकेश दुबे व अन्य के द्वारा मेरू कम्पनी व आवेदक के साथ अमानत में खयानत कर धोखाधड़ी करना पाया अनावेदकगणों द्वारा यह जानते हुये कि राकेश दुबे मेरू कम्पनी का पार्टनर/भागीदार नहीं है फिर भी राकेश दुबे को मौखिक सहमति देकर 13 भू खण्डों के पंजीयन कराना पाया एवं मेरू कम्पनी में राशी जमा ना कर अनावेदकगणों द्वारा संगमत होकर आवेदक व आवेदक की कम्पनी के साथ धोखाधड़ी से 13 रजिस्ट्री कर कुटरचित दस्तावेजों का निर्माण करना पाया व कावेरी कुंज के भू खण्ड क्रमांक 48,51,52,79,87 के विक्रय प्रतिफल की राशी 11,83,000/- रुपये का सदोष लाभ प्राप्त कर आवेदक की कम्पनी को सदोष हानि कारित किया जाना पाया। जांच में आये तथ्यों के आधार पर अनावेदकगण राकेश पिता सुरज प्रसाद दुबे नि. 48 अग्रेसन नगर एरोड्रम इन्दौर व अन्य के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया मामला अपराध धारा 420,406,467,468,471,120बी भादवि का पाया जाने से श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के मौखिक आदेश से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शिकायत आवेदन पत्र नकल निम्नानुसार है:- प्रति, 1. श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, पुलिस आयुक्त कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.), 2. श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय, पुलिस उपायुक्त कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.), 3.श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय, सहायक पुलिस आयुक्त

कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.), विषय - मुझ प्रार्थी द्वारा पूर्व में दिये गये आवेदन की आज दिनांक तक जांच ना होने व आरोपी के विरुद्ध कोई अग्रिम कार्यवाही ना होने के संबंध में। महोदय, मैं प्रार्थी मेरू इन्फ्रा प्रोजेक्ट डेवलपर्स तर्फे डायरेक्टर महावीर जैन, पता एल.जी.-3, सन व्यू रेसीडेंसी, 6/1, ओल्ड पलासिया इन्दौर (म.प्र.) निम्नानुसार निवेदन करता हूँ कि :- 1. यह कि मेरे द्वारा वर्ष 2021 में आरोपी राकेश दुबे के विरुद्ध एक आवेदन पुलिस थाना कनाडिया, इन्दौर व वरिष्ठ कार्यालयों में दिया गया था। 2. यह कि, उक्त कंपनी ने पूर्व में एक और डायरेक्टर राकेश पिता श्री सूरजप्रकाश दुबे भी नियुक्त थे, जिसके द्वारा कंपनी में पूर्व में कई गडबडीयों एवं फोर्जरी के चलते बाहर कर दिनांक 30/09/2020 को राकेश दुबे से त्याग पत्र प्राप्त कर लिया था एवं कंपनी में से राकेश दुबे को बाहर करते वक्त राकेश दुबे से समस्त लेन-देन समाप्त कर फुल एण्ड फाईनल पेमेन्ट कर बाहर कर दिया गया था, जिसकी सूचना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी दे दी गई थी। 3. यह कि, कंपनी में पूर्व डायरेक्टर राकेश दुबे द्वारा इस्तीफा देने के पश्चात् यह विश्वास कंपनी को दिलाया गया था कि वह कंपनी के नाम से किसी भी प्रकार का लेन-देन या संव्यवहार दिनांक 03/09/2020 के पश्चात् नहीं करेंगे परन्तु कंपनी से बाहर होने पर भी राकेश दुबे द्वारा यह सूचना अन्य लोगो को ना देकर स्वयं को कंपनी का डायरेक्टर बताते हुए कंपनी की ओर से संव्यवहार करना निरंतर जारी रखा। 4. यह कि, राकेश दुबे के द्वारा दिनांक 03/09/2020 को डायरेक्टर पद से बाहर होने के पश्चात् षडयंत्रपूर्वक माह फरवरी, 2021 में भिन्न दिनांको को करीब 15 रजिस्ट्रीयों स्वयं को कंपनी का निदेशक/पार्टनर बताते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय क्रमांक 3, विजय नगर, इन्दौर पर उपस्थित होकर कंपनी की फर्जी सील, साईन एवं स्वयं को फर्जी रूप से कंपनी का डायरेक्टर / निदेशक/पार्टनर बताते हुए करवाई गई। 5. यह कि, दिनांक 03/09/2020 को कंपनी से अपने समस्त लेन-देन समाप्त करने के पश्चात् भी स्वयं को अनैतिक लाभ पहुंचाने व प्रार्थी कंपनी को अवैधानिक रूप से हानि पहुंचाने के उद्देश्य से राकेश दुबे द्वारा स्वयं को फर्जी रूप से कंपनी का निदेशक/पार्टनर बताते हुए कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से रजिस्ट्रीयां करवाई गई है। 6. यह कि, उक्त दिनांक के पश्चात् से ही आज दिनांक तक आरोपी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई जांच पुलिस थाना कनाडिया द्वारा नहीं की गई एवं वर्तमान में आरोपी राकेश दुबे द्वारा मेरे तत्कालीन दोनो पार्टनरों सुनय जैन व नवीन जैन को साथ में लेकर लगातार कंपनी के विरुद्ध षडयंत्र किया जा रहा है व कंपनी को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि आरोपी राकेश दुबे पिता श्री सूरजप्रसाद दुबे, निवासी अग्रसेन नगर, एयरपोर्ट रोड जिला इन्दौर के विरुद्ध कंपनी के साथ संबंध समाप्त होने की जानकारी के बावजूद षडयंत्रपूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कंपनी के साथ धोखाधड़ी कर राशि का गबन करने संबंधी धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करने का कष्ट करे। इन्दौर, दिनांक : 10/5/24 प्रार्थी हस्ताक्षर अंग्रेजी में अपठित मेरू इन्फ्रा प्रोजेक्ट डेवलपर्स तर्फे डायरेक्टर महावीर जैन, पता एल. जी.-3, सन व्यू रेसीडेंसी, 6/1, ओल्ड पलासिया, इन्दौर (म.प्र.)

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है ।) or (या)

- (1) **Registered the case and took up the investigation:**

(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

- (2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** MUNENDRA SINGH

No.(सं.): 1

Rank (पद): OFFICIATING ASST SUB INSPECTOR

to take up the Investigation

(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

- (3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):**

or (के कारण इंकार किया या)

- (4) **Transferred to P.S.(थाना):**

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी ।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई



FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम): HARISH CHANDRA

Rank (पद): सउनि-कार्यवाहक